न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 01/2024

बालदेव तिवारी -बनाम- श्यामसुन्दर महतो वगैरह

(द.प्र.सं. की धारा 144)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3

03.06.2024

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दायर द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, पीरटांड़ के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पंजीकृत करते हुए प्रारम्भ की गई। उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्नलिखित वादगत भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) को द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत नोटिस निर्गत की तिथि से अगले 60 दिनों तक के लिए प्रतिबंधित किया गया।

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
कठवारा	0019	8	246	99 डि0

निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं अपना-अपना कारणपृच्छा दाखिल किया गया जिसे अभिलखबद्ध किया गया।

विज्ञ अंचल अधिकारी, पीरटांड़ के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में स्थलीय जाँच कर समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा: कठवारा, थाना नं0 0019, खाता नं. 8, प्लॉट नं. 246, रकवा: 99 डि0 रैयति जमीन सर्वे खतियान टीका कोईरी वल्द भातु कोईरी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर दखल कब्जा को लेकर उभय पक्षों के बीच पूर्व से विवाद चल रहा है। प्रथम पक्ष के दादा भजलु तिवारी वगैरह के नाम से प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी कायम है। वर्तमान में ऑनलाईन पंजी 2 के भाग सं. 1, पृष्ठ सं. 23 पर 99 डि0 के मध्ये 43.8 डि0 भूमि का जमाबंदी चल रहा है तथा वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। प्रथम पक्ष के राजस्व दस्तावेजों के अनुसार विवादित भूमि का खतियान टीका कोइरी वल्द भातु कोइरी के नाम से है जिसमें खेवट सं. 2/1 उनके परदादा कार्तिक तिवारी वल्द रामलाल तिवारी के नाम दर्ज होने तथा टीका कोईरी वल्द भातु कोईरी द्वारा प्रथम पक्ष के परदादा को दिनांक 02.05.1933 को सादा इस्तिफानामा के आधार पर जमाबंदी कायम होने का दावा करते है। जबकि द्वितीय पक्ष टीका कोइरी वल्द भातु कोइरी के नाम से खतियान प्रस्तुत किया गया एवं कुछ जमींदारी लगान रसीद भी प्रस्तुत किया गया किन्तु खतियानधारक के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। द्वितीय पक्ष खतियानधारक के वंशज होने के नाते उक्त भूमि पर अपना दावा पेश करते है। इस भूमि विवाद के संबंध में अंचल न्यायालय में विविध वाद सं. 08/2023-24 श्यामसुन्दर महतो बनाम बलदेव तिवारी पंजीबद्ध है जो प्रक्रियाधीन है।

---- विचारण एवं आदेश ----

उभय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा एवं संलग्न दस्तावेजों तथा विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि वादगत भूमि रैयति खाते की भूमि

Certified Copy Issued 24/06/24

Certified Copy Issued

है। जिसमें प्रथम पक्ष इस्तिफानामा के द्वारा दावा प्रस्तुत करते है जबकि द्वितीय पक्ष खतियानधारक के वंशज होने के नाते दावा प्रस्तुत करते है। इस प्रकार उपर्युक्त विवादित भूमि का मामला विशुद्ध रूप से उभय पक्षों के बीच स्वत्व से संबंधित है, जिसका निष्पादन करना अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। यह मामला सक्षम न्यायालय में चलने लायक है तथा इस न्यायालय में पोषनीय नही है।

आज प्रस्तुत वाद में द०प्र०सं० की धारा 144 की उपधारा 4 के तहत सुनवाई की अंतिम तिथि है। अत: प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन एवं अंचल अधिकारी, पीरटांड़ के प्रतिवेदन के आधार पर संचालित इस वाद की सुनवाई को समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंदी की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराएं तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

लेखापित एवं सशोधित

03/06/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

डुमरी।

03/06/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

डुमरी।

Certified Copy Issued 24/06/24

Certified Copy Issued

Digitally signed by MOHAMMAD SHAHJAD PERWEZ
Date: 2024.07.22 18:09:34 +05:30
Location: 192.168.1.8